उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-21/2017/सा-3-370/दस-2017-301/2000 टी0सी0
लखनऊ: दिनाँक : 17 जुलाई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि-पत्र

राज्य सरकार के सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-20/2017/सा-3-365/दस-2017-301/2000 टी0सी0, दिनाँक 14-07-2017 के संशोधित प्रस्तर-2 व 3 को निम्नवत् पढ़ा जाये:-

(2)-अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेशों की व्यवस्थाओं के अधीन स्वीकृत / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर श्री राज्यपाल द्वारा दिनाँक 01 जनवरी, 2017 से महँगाई राहत की 02 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(3)-पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में दिनाँक 01 जनवरी, 2017 से 02 प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 02 प्रतिशत से बढ़कर दिनाँक 01 जनवरी, 2017 से 04 प्रतिशत हो जायेंगी ।

(2)-The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to grant one more installment of dearness relief of 02 percent w.e.f. January 01, 2017 on the pension/ family pension revised/ determined under the provisions of the government orders referred to above.

(3)-As a consequence of the above-mentioned 02 percent rise, the dearness relief payable on the pension/family pension will rise from existing 02 percent to 04 percent with effect from January 01, 2017.

2- कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 14-07-2017 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये, अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

सेवा में,

(1)- उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।
(2)- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं आडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3)-महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(1)- All Principal Secretaries / Secretaries to Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers and other officers as per previous distribution list.
(2)- Accountant General (Account & Entitlement)-1,2 & Audit-1,2, Uttar Pradesh] Allahabad.
(3)- Office of Accountant General, Uttarakhand, Dehradun.

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।